संख्या-30/2020/71/71-2-2020-30/2012

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु भूमि क्रय किये जाने के संबंध में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-21/2020/239/71-2-20-30/2012, दिनांक 27 फरवरी, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम्स-रायबरेली के विस्तार हेतु ग्राम-दरियापुर के 109 एवं ग्राम-सुल्तानपुर के आइमा के 119 अर्थात कुल 228 कृषकों के 19.0136 हेक्टेयर कृषि भूमि (परिसम्पत्तियों सहित) के क्रय हेतु धनराशि रू0 4040.32757 (रूपये चालीस करोड चालीस लाख बत्तीस हजार सात सौ सत्तावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज हरदोई, मेडिकल कालेज फतेहपुर एवं मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर के मानक मद 24-बृहत निर्माण कार्य में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार हो रही संभावित बचत रू0 3040.33 लाख के सापेक्ष रू0 3040.32757 लाख (रू0 तीस करोड चालीस लाख बत्तीस हजार सात सौ सत्तावन मात्र) को अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इसका अन्य कार्यो/मदों पर व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है और इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6) नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

7) भूमि क्रय किये जाने के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी-79-रायबरेली में एम्स की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231 /2019, दिनांक 22, मार्च 2019 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-30/2020/71 (1)/71-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण।
4. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
5. वरिष्ठ/मुख्य, कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in